न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0नं0 09 / अपील (आर0टी0आई) / 2022

लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकंला

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांकः 22.02.2022

-:: निर्णय ::-

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमो में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने 1. (अ) ग्राम मालनवासा उप तहसील सारोलाकलां की आराजी ख0न0 937,970,971 जो कोशल्या बाई पुत्री भेरिया वगै0 जाति मोंगिया(मोग्या) के नाम दर्ज है (ब)ग्राम हरिगढ तहसील खानपुर की आराजरी ख0न0 209 / 1664,264 / 1708 जो कोशल्या बाई पुत्री भैरूलाल वगै जाति बागरी के नाम दर्ज है। उक्त दोनों ग्रामों की कृषि भूमियों में काश्तकार एक ही हैं किन्तु राजस्व रेकार्ड में जाति मोंगिया(मोग्या) व बागरी दर्ज है। उक्त जातियां जिस केटेगरी में आती हैं समस्त जाति / वर्ग सूची की प्रमाणित प्रति। उक्त पटवार मण्डल में दो अलग-अलग जाति मांगिया व बागरी में कोशल्याबाई व बिशनी बाई को कार्यालय द्वारा राजस्व रेकार्ड अनुसार जाति प्रमाण पत्र या जाति वर्ग के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना हो या अन्य रिकार्ड बाबत इनको किस जाति / वर्ग के माना जावेगा इसकी सूचना। काश्तकार कोशल्या बाई व बिशनी बाई द्वारा अलग-अलग ग्राम मे अलग-अलग जाति वर्ग में दोहरा लाभ उठाया जा रहा है तो आपके विभाग / कार्यालय द्वारा उक्त काश्तकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी.......बाबत जानकारी। ग्राम मालनवासा की आराजी भूमि ख0न0 937,970,971 में मृतक भेरिया पुत्र गेंदिया के वारिसान कोशल्या बाई पुत्री भेरिया,बिशनी बाई पत्नी भैरिया द्वारा स्वीकृत करवाये गये विरासत नामान्तकरण के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील खानपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार तहसील खानपुर को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 22.02.2022 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकंला की और से नायब तहसीलदार खानपुर को भिजवाया जाकर पत्रांकः 71-72 / रीडर / 22 दिनांक 21.02.2022 द्वारा (प्रकरण संख्या 05 व 9 मे चाही गई जानकारी तहसीलदार खानपुर व उप तहसील खानपुर की एक ही होने से जवाब भी एक ही) अवगत कराया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाहे गये 1(अ) जाति के संबन्ध मे चाही गई प्रमाणित सूची अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए मुख्यतः अंकन किया कि भू राजस्व रेकार्ड के अनुसार जातियों को वर्गीकरण नही होकर राज्य सरकार के स्तर से होता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महिला की जाति प्रमाण पत्र के संबन्ध में पिता की जाति को समावेश करके सूची अनुसार जारी किया जाता है। अन्त में अंकन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना ना होकर प्रश्नात्मक सूचना है जिसका संधारण कार्यालय में नही है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को वही सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसका संधारण कार्यालय में पूर्व से हो रहा है। अपील निराधार होने से खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नायब तहसीलदार उपतहसील सारोलाकला से चाहा गया रेकार्ड उनके द्वारा पूर्व से संधारित नही किया जाना साबित है। प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षैत्र से बाहर हैं। इसी प्रकार माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रकरण संख्या सी0आई0सी0 / ए0टी0ए0 / 2006 / 000588 विभोर दिलिप बरला बनाम केन्द्रीय एक्साईज एंव कस्टमस् नासिक में दिनांक 30.11.2006 को पारित निर्णय अनुसार भी लोक सूचना अधिकारी का यह कार्य नही है कि वह जांच या अनुसंधान प्रारम्भ करें या प्रार्थी के प्रश्नो के सुझावात्मक उत्तर तैयार करे। पी0आई0ओ0 केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से अपीलार्थी को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/2/22 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

अपील अधिकारी

जिला कलक्टर झालावाड

क्रमांकः 114-16 / रीडर / 22

दिनांक

प्रतिलिपिः-

01.प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड

02.लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील,खानपुर

03.लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

प्रथम अपील अधिकारी

जिला कलक्टर झालावाड